नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 124/10(2010/00018) वाद पत्र.

उनवान

1–छोगा आत्मज उदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) मृतक बजाय–
1/1–भंवर आत्मज छोगा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
1/2–मदन आत्मज छोगा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
1/3–धन्नी पुत्री छोगा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
1/4–सोहनी पुत्री बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
1/5–मु0 देउ बेवा छोगा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादीगण

बनाम

1–बरदा आत्मज उदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) मृतक के बजाय–
1/1–नारायणी पुत्री बरदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
1/2–कंकु बेवा बरदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2–डालु आत्मज उदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. पर्वत सिंह – **अधिवक्ता वादीगण**
2. महेश दाधीच – **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक 26.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पालरा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 2350 रकबा 0.05 हे0, 2352 रकबा 0.27 हे0, 2353 रकबा 0.27 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 हे0, भुमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण कब्जे एवं हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने मे सहमत है। इस आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 26.05.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिकी एवं रेकार्ड आफ

नईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम **पालरा** तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता सख्या 400 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिकी निम्नानुसार दी जाती है–

क्र. स	कृषको का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है0)
01	मदनलाल भवरलाल पिता छोगा सोवनी धन्नी पुत्रिया छोगा देउ पत्नि छोगा बलाई सा देह खातेदार	2353/2	0.1283
		2352/1	0.0633
	किता	2	0.1916
02	डालु पिता उदा बलाई सा देह खातेदार	2352/2	0.2067
	किता	1	0.2067
03	नारायणी पुत्री बरदा कंकु बेवा बरदा बलाई सा देह खातेदार	2353/1	0.1417
		2350	0.0500
	किता	2	0.1917

अंतिम डिकी अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख **26.05.2018** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर जिला भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

उनवान

1—छोगा आत्मज उदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) मृतक के बजाय—

1/1—भंवर आत्मज छोगा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

1/2—मदन आत्मज छोगा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

1/3—धन्नी पुत्री छोगा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

1/4—सोहनी पुत्री बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

1/5—मु0 देउ बेवा छोगा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादीगण

बनाम

1—बरदा आत्मज उदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) मृतक के बजाय—

1/1—नारायणी पुत्री बरदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

1/2—कंकु बेवा बरदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

2—डालु आत्मज उदा बलाई निवासी पालरा तहसील रायपूर जिला भीलवाड़ा

3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बरः— 124/10(2010/00018) वाद पत्र.

निर्णय दिनांकः— **26.05.2018**

वाद में आज तारीख **26.05.2018** को न्याय आपके द्वार 2018 की राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत **पालरा** के समक्ष अंतिम निपटारो के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि —

ग्राम **पालरा** तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या **400 वादी** एवं **प्रतिवादीगण** के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है—

कृषको का नाम		खसरा नम्बर	रकबा (है0)
01 मदनलाल भवरलाल पिता छोगा सोवनी धन्नी पुत्रिया छोगा देउ पत्नि छोगा बलाई सा देह खातेदार		2353 / 2	0.1283
		2352 / 1	0.0633
	किता	2	0.1916
02 डालु पिता उदा बलाई सा देह खातेदार		2352 / 2	0.2067
	किता	1	0.2067
03 नारायणी पुत्री बरदा कंकु बेवा बरदा बलाई सा देह खातेदार		2353 / 1	0.1417
		2350	0.0500
	किता	2	0.1917

अंतिम डिक्री आज तारीख **26.05.2018** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
रायपुर